22:29 24%

Corona related order...

मुख्य सचिव कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 168/मु.स./2020 भोपाल दिनांक 19 मार्च 2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
मंत्रालय, मध्यप्रदेश।

विषयः–कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण एवं बचाव हेतु राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में आमजन का प्रवेश निषेध रखने बाबत्।

भारत सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंस अर्थात सामाजिक/परस्पर दूरी बनाये रखने हेतु दिनांक 17.03.2020 दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं जो पत्र के साथ संलग्न है। आपके संज्ञान में होगा कि इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सभी विद्यालय तथा महाविद्यालयों को बंद किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त कार्यवाही आमजन में परस्पर दूरी बनाये रखने के लिये की गई है जिसका आशय है कि जहां अधिक संख्या में आमजन एकत्रित होते हैं उन स्थानों पर रोक लगाई गई है।

राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य स्थित है जो कि आमजन को आकर्षित करते हैं एवं इन स्थानों में आमजन का एकत्रीकरण होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत समस्त राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों में आमजन का प्रवेश आगामी आदेश तक निषेध रखा जाये जिससे **कोरोना वायरस** **(COVID-19)** के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण किया जा सके।

इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

19-3-2020

(संजीव श्रीवास्तव)
उप सचिव
मुख्य सचिव कार्यालय

पृष्ठांकन क्रमांक 168/मु.स./2020 भोपाल दिनांक 19 मार्च 2020

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. स्टॉफ आफीसर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
5. विकअ सह आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

19-3-2020

उप सचिव
मुख्य सचिव कार्यालय

Scanned with CamScanner